<u>**संख्या:04/2026/249/छ:-पु0-9-26-1681562**</u>

प्रेषक,

राकेश कुमार मालपाणी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय,
पुलिस मुख्यालय
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

गृह (पुलिस) अनुभाग-09 **लखनऊ : दिनांक 28-02-2026**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2025-26 में उ0प्र0 स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस लखनऊ हेतु मानक मद-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि रूपये 15,31,80,000/- के सापेक्ष तृतीय किश्त की शेष धनराशि रूपये 2,49,00,000 निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक निदेशक, उ0प्र0 स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस लखनऊ के पत्र संख्या-यूपीएसआईएफएस-बी-14/2025/130 दिनांक 30.01.2026 एवं पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय, नि0 अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-3/ख-85(यूपीएसआईएफएस)-2025 दिनांक 12.02.2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा फोरेंसिक लेखाशीर्ष "2055-पुलिस-116-न्यायालिक विज्ञान 04-उ०प्र० स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ़ फोरेंसिक साइंस, लखनऊ के मानक मद -20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में प्रावधानित धनराशि रु० 15,31,80,000/- के सापेक्ष तृतीय किश्त की शेष धनराशि रूपये 2,49,00,000/- निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में लेखाशीर्षक 2055-पुलिस 116-न्यायालयिक विज्ञान-04-यू0पी0 स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइसेंज, लखनऊ के मानक मद 20-सहायता अनुदान- सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि रूपये 15,31,80,000/- के सापेक्ष शासन के पत्र संख्या-711/छः-पु0-9-25-1681562 दिनांक 05.05.2025, शासन के पत्र संख्या-1190/छः-पु0-9-25-1681562 दिनांक 18.07.2025 शासन के पत्र संख्या-1821/छ:-पु0-9-25-1681562 दिनांक 25.11.2025 एवं शासनादेश संख्या-01/2026/40/ छः-पु0-9-26-1681562 दिनांक 20.01.2026 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2025-26 में लेखाशीर्षक 2055-पुलिस 116-न्यायालयिक विज्ञान-04-यू0पी0 स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइसेंज, लखनऊ के मानक मद 20-सहायता अनुदान- सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि रूपये 15,31,80,000/- के सापेक्ष तृतीय किश्त की शेष धनराशि रूपये 2,49,00,000/- निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

क्र0सं0	विवरण	अनुमानित धनराशि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

		(रूपये में)
1	नवीन एडवांस कम्प्यूटर लैब / ट्रेनिंग लैब हेतु फर्नीचर, नेटवर्किंग एवं इलेक्ट्रिकल व्यवस्था इत्यादि पर व्यय	15,00,000
2	लाइब्रेरी हेतु अतिरिक्त बुक रैक्स एवं अन्य आवश्यक फर्नीचर इत्यादि पर व्यय	14,00,000
3	छात्र-छात्राओं के हॉस्टल्स हेतु अतिरिक्त फर्नीचर इत्यादि पर व्यय	45,00,000
4	फैकेल्टी ट्रांजिट हॉस्टल हेतु अतिरिक्त फर्नीचर इत्यादि पर व्यय	5,00,000
5	लैब उपकरण एवं अन्य सम्बन्धित इत्यादि पर व्यय	40,00,000
6	एडवांस डिजिटल डायग्नोसटिक सेण्टर स्थापना हेतु 50 अदद हाईएण्ड कम्प्यूटर वर्क स्टेशन आदि के क्रय इत्यादि पर व्यय	1,30,00,000
	योग	**24900000(दो करोड़ उनचास लाख मात्र)**

नियम शर्तें/प्रतिबन्ध

(1) पुलिस मुख्यालय/संस्थान द्वारा उपकरण/सामग्री/सेवाओं का क्रय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 23.08.2017 में दी गई व्यवस्था के माध्यम से समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करके नियमानुसार किया जायेगा।

(2) धनराशि आहरित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उक्त उपकरण/सामग्री/ सेवाओं के क्रय हेतु पूर्व में धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है। स्वीकृत धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा जब उपकरणों/सामग्री/सेवाओं आदि की निर्धारित क्रय प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी हो।

(3) संस्थान/पुलिस मुख्यालय कार्यात्मक आवश्यकता के दृष्टिगत प्रस्तावित उपकरणों/सामग्री के मेक/ माडल/स्पेसिफिकेशन एवं संख्या के संबंध में विभागीय व्यवस्थाओं के अन्तर्गत संतुष्ट हो लेंगे।

(4) संस्थान/पुलिस मुख्यालय क्रय किये जाने वाले उपकरण/सामग्री/सेवाओं की गुणवत्ता एवं उपयोगिता के संबंध में पूर्णतः संतुष्ट हो लेंगे।

(5) उपकरण/सामग्री/सेवाओं का क्रय स्वीकृत धनराशि की सीमा में किया जायेगा तथा किसी प्रकार का विचलन नही किया जायेगा।

(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27.03.2025 में निहित प्राविधानित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये अवशेष धनराशि स्वीकृत की जायेगी।

(7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

(8) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(9) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च, 2026 तक कर लिया जायेगा।

3. इस सम्बंध में होने वाला व्यय रूपये 2,49,00,000/- (रू0 दो करोड़ उनचास लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में फोरेंसिक लेखाशीर्षः 2055-पुलिस-116- न्यायालिक विज्ञान-04 यू०पी० स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइस लखनऊ के मानक-20 सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) के नामें डाला जायेगा।

भवदीय
राकेश कुमार मालपाणी
विशेष सचिव।

संख्या-04/2026/249(1)/छः-पु0-9-26-1681562 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. निदेशक, उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट आफ फोरेंसिक साइंसेज, लखनऊ।
5. अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाएँ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-12
8. गृह (पुलिस) अनुभाग-7
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
राकेश कुमार मालपाणी
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।